न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
शंकर बनाम सरकार

3 7/2011

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	24/12/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। राजकार्य में व्यस्तता होने के कारण आदेश नहीं सुनाया गया। पत्रावली पूर्वानुसार आदेश दिनांक 7/1/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	7/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 136 LR Act को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:32:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

प्रार्थना पत्र संख्या - 39/2011

(1) शंकरलाल पुत्र लादूराम
(2) रामचन्द्र पुत्र लादूराम
(3) रामकिशन पुत्र लादूराम
(4) जगदीश पुत्र लादूराम
(5) रामकरण पुत्र प्रभात
(6) रामसहाय पुत्र प्रभात
(7) रामफूल पुत्र प्रभात
समस्त जातियान मीना निवासियान मेवर तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

(1) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ (जयपुर)
(2) रामनाथ पुत्र रामला (मृतक)
2/1 कानाराम पुत्र रामनाथ
2/2 भूरणी पत्नि रामनाथ
(3) कालूराम पुत्र रामला
(4) रामफूल पुत्र रामला
(5) धन्नी पत्नि लक्ष्मण
(6) रामसहाय पुत्र छोटू
(7) भगवान सहाय पुत्र छोटू

P.T.O → (2)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:32:40 IST
Reason: SelfAttested

(2)

(8) कल्याण पुत्र छोटू (मृतक)
8/1 पप्पू उर्फ सीताराम पुत्र कल्याण
8/2 काशी उर्फ रणजीत पुत्र कल्याण
8/3 गिरीराज पुत्र कल्याण
8/4 राजेन्द्र पुत्र कल्याण
8/5 रामचन्द्र पुत्र कल्याण
8/6 गौरी पत्नि कल्याण
8/7 सुन्दरी पत्नि कल्याण
9. लच्छमा पत्नि महादेव

समस्त जातियान मीणा निवासियान खेड़ावासनेवर तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर

.... अप्रार्थीगण

(1) प्रार्थीगण वकील - श्री महेश शर्मा
(2) अप्रार्थी सं० 1 - पैरोकार सरकार
(3) अप्रार्थी सं० 2 ता 9 एकसपार्टे

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 131, 136 एल० आर० एक्ट

निर्णय

दिनांक 07/01/2021

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल० आर० एक्ट के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ग्राम [illegible] के रहने वाले है। ग्राम खेड़ावास नेवर [illegible] जिला जयपुर में आराजी [illegible] रकबा 6 बीघा स्थित है [illegible] ग्राम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:32:40 IST
Reason: SelfAttested

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

प्रार्थीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमि को करीब 23 वर्ष पूर्व जरिये विक्रय पत्र के खरीद किया है। खरीद के दिन से ही प्रार्थीगण उक्त आराजी पर नजरी नक्शा अनुसार काबिज रहकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। पूर्व खातेदार भी इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते रहे हैं परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी की नक्शा ट्रेस में तरमीम गलत दर्ज कर दी जिस तरह उक्त आराजी पर काबिज थे उस तरह नक्शा ट्रेस में तरमीम न कर गलत तरमीम कर दी गई जिसका अप्रार्थी को हक व अधिकार नहीं है

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगणों को बार-बार उक्त नक्शा ट्रेस में उक्त तरमीम को दुरुस्त करने हेतु निवेदन किया गया। परन्तु अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थीगण आराजी ख०नं० 391/233 रकबा 6 बीघा को दुरुस्त नहीं किया। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30/11/2010 को भी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में भी एक प्रार्थना पत्र बाबत उक्त नक्शा ट्रेस को दुरुस्त करने का निवेदन किया जिस पर प्रभारी अधिकारी द्वारा मौके पर कब्जानुसार पालना रिपोर्ट तत्काल पेश करने के आदेश दिये तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अप्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती नहीं की गई। दिनांक 20/11/2011 को तरमीम दुरुस्ती से मना करने पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः विवादित भूमि की नक्शा ट्रेस में पूर्व में की गई तरमीम को दुरुस्त कर नजरी नक्शा अनुसार [illegible] में तरमीम करने के आदेश दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज [illegible] पाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस [illegible] गया। उक्त पत्रावली को दिनांक 1/2/2016 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया।

P.T.O.

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:32:40 IST
Reason: SelfAttested

(5)

दिनांक 12/2/2016 को वाजदावरी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिया गया। दिनांक 18/02/2016 को प्रार्थीगण वकील ने एक प्रार्थना पत्र 01R10 का पेश किया जिसे उक्त तिथि ही स्वीकार कर संशोधित उनवान करने के आदेश दिये गये। दिनांक 17/11/2016 को वकील प्रार्थीगण ने संशोधित उनवान पेश किया साथ ही एक प्रार्थना 022R4 पेश किया। को बहस प्रार्थना पत्र में विचाराधीन रखा गया। पत्रावली दिनांक 27/11/2016 को प्रा० पत्र 022R4 CPC को स्वीकार किया गया। तथा दिनांक 13/12/2016 को संशोधित उनवान पेश किया तथा तलबी संशोधित उनवान की जारी गई। अप्रार्थी सं० 2 रामनाथ के फौत हो जाने पर प्रा० पत्र 022R4 CPC को स्वीकार किया गया। दिनांक 28/12/17 को संशोधित उनवान की तलबी रजिस्टर्ड डाक द्वारा करवाई गई। अप्रार्थी सं० 2 लाभार्थ व वावजूद सूचना के अनुपस्थित होने के कारण इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 22/3/2018 को तहसीलदार जमवारामगढ़ को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर विवादित भूमि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक 3235 दिनांक 15/6/... को रिपोर्ट पेश की।

वकील प्रार्थी ... गई। बहस सुनने व ... का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:32:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड ...
जमवारामगढ़

(5)

प्रार्थी को भूमि आवंटन हुई तब तरमीम की गई विवादित भूमि 390/233 में मौका पर कब्जा व नक्शा तरमीम में अन्तर है। प्रार्थीगण मूल आवंटी नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त विवादित भूमि मूल आवंटी से क्रय की गई। इसलिये धारा 136 LR Act के तहत उक्त दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में मौका पर काबिज अनुरूप दुरुस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:32:40 IST
Reason: SelfAttested